समाचार–प्रकाशनार्थ :–

खाद्यान्न पर्ची हेतु झोन कार्यालयों पर आज लिये जायेंगे आवेदन
पात्रता पर्ची हेतु 253 नागरिकों ने जमा कराये आवेदन
पात्र परिवारो के सत्यापन हेतु राशन–मित्र पोर्टल पर कार्य प्रारंभ

रतलाम 14 मई। शासन निर्देशानुसार कोविड–19 के संक्रमण के कारण लॉक डाउन अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्चीविहीन/छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण हेतु अस्थायी पर्ची बनाने हेतु 14 मई को नागरिकों ने निगम के झोन क्रमांक 1 पर 70, झोन क्रमांक 2 पर 13, झोन क्रमांक 3 पर 80 व झोन क्रमांक 4 पर 90 इस तरह कुल 253 आवेदन जमा कराये। प्राप्त आवेदनों के पात्र परिवारों के सत्यापन की कार्यवाही राशन–मित्र पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। अस्थायी पात्रता पर्ची बनाने हेतु निगम के झोन कार्यालयों पर आज 15 मई शनिवार को प्रातः 8:00 बजे से आवेदन व आवश्यक दस्तावेज लिये जायेंगे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि एनएफएसए 2013 अन्तर्गत 24 श्रेणी के परिवारों को पात्रता श्रेणी अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। कोविड–19 के संक्रमण के कारण लॉक डाउन अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पात्रता पर्चीविहीन/छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण हेतु अस्थायी पर्ची बनाने हेतु निगम के झोन क्रमांक 1 अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल, झोन क्रमांक 2 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, झोन क्रमांक 3 अमृत सागर उद्यान भवन व झोन क्रमांक 4 हरमाला सम्पवेल भवन पर प्रातः 8:00 बजे से नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा आवेदन लिये जायेंगे। हितग्राहियों हेतु आवेदन की व्यवस्था झोन कार्यालयों पर की गई है हितग्राही कोविड–19 की गाईड लाईन का पालन कर व मास्क लगाकर को अपने साथ समग्र आई.डी., आधार कार्ड व 24 श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी के दस्तावेज की छाया प्रति साथ में लावें।

खाद्यान्न वितरण हेतु अस्थायी पर्ची के लिये 24 श्रेणी क्रमशः समस्त बीपीएल परिवार, वनाधिकार पट्टेधारी, समस्त भूमिहीन कोटवार, मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, मध्यप्रदेश में निवासरत् समस्त अनुसूचित जनजाति के परिवार, वर्ष 2013–14 में प्राकृतिक आपदा में प्रभावित परिवार जिनकी फसलों से क्षति 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो, समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं एव उन पर आश्रित परिवारों के सदस्य, बंद पड़ी मिलों में नियोजित पूर्व श्रमिक, बीड़ी श्रमिक कल्याण निधी अधिनियम 1972 के परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक, ग्रामिण क्षेत्रों के समस्त ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजनान्तर्गत भूमिहीन, खेतीहर पंजीकृत मजदूर एवं आश्रित परिवार के सदस्य, साइकिल रिक्शा चालक एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत साइकिल रिक्शा/हाथ ठेला चालक एवं आश्रित परिवारों के सदस्य, घरेलू कामकाजी महिलाऐं, फेरीवाले स्ट्रीट वेण्डर, नगरीय निकायों के पंजीकृत केशशिल्पी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं आश्रित परिवारों के सदस्य, अनाथ आश्रम निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत् बच्चे तथा वृद्धाश्रमों में निःशुल्क निवारत् वृद्धजन, पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंदबुद्धी व्यक्ति, रेलवे में पंजीकृत कुली, मंडियो में अनुज्ञाप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, कुटीर एवं ग्रामोधोग विभाग अन्तर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी, एचआईव्ही (एड्स) संक्रमित व्यक्ति (जो स्वेच्छा से लाभ लेना चाहते हो), मत्सय पालन करने वाले (मछुआ) सहकारी समितियों में पंजीकृत परिवार/सदस्य, पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक/परिचालक व विमुक्त घुम्मकड़ एवं अर्धघुम्मकड़ जातियों के परिवार जो पूर्व से अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों से छूटे हुए है।

होम आईसोलेशन मरीजों को मेडिसिन किट का वितरण

87 मरीजो को किया मेडिसिन किट का वितरण
मरीज के परिजनों को 199 मेडिकल किट का वितरण

रतलाम 14 मई। कोविड–19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को मेडिसिन किट व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति की होम डिलेवरी किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजो के घर जाकर मेडिकल किट प्रदान की।

ई–दक्ष केन्द्र रतलाम से 14 मई शुक्रवार को होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 106 मेडिसिन किट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन विभाग में उपलब्ध कराई व कन्ट्रोल रूम से 6 मेडिसिन किट। अग्निशमन विभाग से वार्ड वार गठित दलो वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलो द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजो के घर–घर जाकर मेडिकल किट का वितरण किया गया जिसके तहत सूची अनुसार 87 मरीजो को मेडिकल किट का वितरण घर पर किया गया। 4 मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गया, 3 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 8 मरीजो को पूर्व से ही मेडिसिन किट प्राप्त होना पाया गया तथा 9 मरीजो के कान्टेक्ट नम्बर व पते गलत पाये गये। इसके अलावा 199 मेडिसीन किट मरीज के परिजनों को प्रदान की गई।

नगरीय क्षेत्र में 55 कनटेंनमेंट झोन बनाये

रतलाम 14 मई। कोविड–19 कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना संक्रमित मिल रहे है उस क्षेत्र को कनटेनमेंट झोन बनाया जा रहा है जिसके तहत अब तक41 कनटेंनमेंट झोन बनाये जा चुके है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में 11, 12, 13 व 14 मई को टाटा नगर में 2, तेजा नगर में 2, ओझाखाली, प्रताप नगर, प्रताप नगर एक्टेंशन, प्रताप नगर एक्टेंशन में मकान नम्बर 5, 19 व 30, ऑफिसर्स कॉलोनी, बालाजी नगर, थावरिया बाजार, वकील कालोनी, ब्राम्हणों का वास, वेदव्यास कालोनी में 4, गुलमोहर कॉलोनी, देवरादेव नारायण नगर, जवाहर नगर, डोंगरे नगर, मोहन नगर, अलकापुरी अम्बे चौक के पास, आदर्श नगर गली नम्बर 3, सुनाना ड्रीम होम्स सुमंगल गार्डन के पास, कस्तुरबा नगर मुख्य मार्ग पर 2, दीनदयाल नगर मुख्य मार्ग, दीनदयाल नगर मकान नम्बर 38 व 196, दीनदयाल नगर राधा–कृष्ण स्कूल के पास, शास्त्री नगर में 2, राजपूत बोर्डिंग के पास 2, महेश नगर, सनसिटी कॉलोनी, दीनदयाल नगर सी सेक्टर में 1 व जी सेक्टर में 2, धीरजशाह नगर गली नम्बर 4 में 1 व गली नम्बर 5 में 2, सिलावटो का वास, कस्तुरबा नगर पीएण्डटी कोलोनी, अम्बिका नगर, राजीव नगर, सुयोग परिसर, थावरिया बाजार, वेदव्यास कालोनी अभिलाषा अपार्टमेन्ट व खटीक मोहल्ला में कन्टेनमेंट झोन बनाये गये है इस तरह 3 दिवस में 41 कनटेनमेंट झोन रतलाम नगरीय क्षेत्र में बनाये गये हैं।

मास्क नहीं लगाने व गंदगी करने पर 2 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 14 मई। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोविड–19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने व बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही गंदगी करने वालो पर भी जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत दो बत्ती क्षेत्र में फल विक्रेता द्वारा

गंदगी करने पर 250 व नगर निगम तिराहे पर बगैर मास्क के घुमने पर एक व्यक्ति पर 100 रूपये का जुर्माना किया गया।

''किल कोरोना–3'' अभियान के तहत 8 स्थानों पर कोविड सहायता केन्द्र का संचालन

रतलाम 14 मई। शासन निर्देशानुसार कोविड–19 के परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए '' किल कोरोना–3'' अभियान के तहत रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में 8 स्थानों पर कोविड सहायता केन्द्र का संचालन किया गया है जिसमें नगर निगम अधिकारी/कर्मचारी, मेडिकल ऑफिसर, आंगनवाड़ी सुपरवाईजर, स्टॉफ नर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है।

'' किल कोरोना–3'' अभियान के तहत वार्ड क्रमांक 33, 34, 35, 36 व 31 हेतु टीआईटी रोड डिस्पेंसरी, वार्ड क्रमांक 30, 31 व 32 हेतु जावरा रोड प्राथमिक स्कूल डी मार्ट रोड, वार्ड क्रमांक 27, 28 व 29 हेतु दिलीप नगर डिस्पेंसरी, वार्ड क्रमांक 20, 21, 22, 23, 24, 25, 44 व 45 हेतु मोती नगर प्राथमिक स्कूल, वार्ड क्रमांक 26, 37, 38, 39, 40, 41, 42 व 43 हेतु हाकिम वाड़ा डिस्पेंसरी, वार्ड क्रमांक 15, 16, 17, 18, 19, 46, 47, 48 व 49 हेतु सुभाष नगर कम्युनिटी हॉल, वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गणेश नगर व वार्ड क्रमांक 9, 10, 11, 12, 13 व 14 हेतु रेडक्रास भवन बिरियाखेड़ी मेन रोड पर कोविड सहायता केन्द्र का संचालन किया गया है। उक्त केन्द्रो पर नियुक्त नगर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा कोविड सहायता केन्द्र पर नियुक्त मेडिकल ऑफिसर, आंगनवाड़ी सुपरवाईजर, स्टॉफ नर्स, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु श्री नईम मोहम्मद खान प्रभारी ए.पी.एम. मो0नं0 9685330094 व श्री लोकेश वैष्णव प्रभारी बी.ई.ई. मो0 नं0 7999606919 को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

कोविड सहायता केन्द्र पर शीघ्रातिशीघ्र सर्दी/खांसी/ILI के लक्षण वाले रोगियों की प्राथमिक जांच एवं परामर्श दिया जायेगा, गले में खराश/सांस लेने में कठिनाई/बदन दर्द/सिर दर्द के साथ बुखार (>38˚C/100.4˚F)आदि लक्षण युक्त रोगियों का लक्षण आधारित उपचार व संभावित कोविड–19 रोगियों का निकटस्थ फीवर क्लीनिकपर रेफरल का कार्य किया जायेगा।

किसी भी प्रकार बुखार तथा बुखार के साथ कोई अन्य लक्षण जैसे की बुखार के साथ सर्दी–खॉसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, कमजोरी, चक्कर, दस्त, गंध अथवा स्वाद कम होने पर नागरिक अपने नजदीकी कोविड सहायता केन्द्र पर संपर्क करें।

नगर में प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाईजेशन

नगर के विभिन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से किया सेनेटाईज

रतलाम 14 मई। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार निगम के विभिन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, गलियों, भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। 14 मई को फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से मेडिकल कालेज, भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम, त्रिवेणी मुक्तिधाम, आमलिया भेरू, काटजू नगर, कोविड सहायता केन्द्र सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र, कलेक्टोरेट,

ई–दक्ष कार्यालय, नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया गया।

नगर के सेनेटराईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय निरंतर जारी

रतलाम 14 मई। शासकीय मेडिकल कॉलेज में उपचारत् कोविड–19 के मरीजों को किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो इस हेतु जिला कलेक्टर श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार मालवा व महावीर ऑक्सीजन से सिलेण्डर मेडिकल कॉलेज में पंहूचाने का कार्य प्रतिदिन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है साथ ही इस कार्य में सतत् निगरानी भी रखी जा रही है।

नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय के अलावा मेडिकल कॉलेज के सुविधाघरों की सफाई के कार्य पर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सत्त निगरानी रखी जा रही है इसके अलावा प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज में सेनेटाईजेशन के कार्य हेतु कर्मचारी नियुक्त किया गया है जो मेडिकल कॉलेज के अंदर व बाहर सेनेटाईजेशन का कार्य संपादित कर रहे है।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 14 मई। **नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।**

गठित दल में मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 14 मई **। स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।**

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 14.05.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.